कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक:-28.11.2022

दिनांक 28.11.2022 को पुलिस उपायुक्त काशी जोन श्री आर0एस0 गौतम द्वारा गंगा नदी में वर्तमान समय में हो रही नाव दुर्घटनाओं के संबंध में काशी-जोन अंतर्गत घाटों पर नाव संचालित करने वाले नाविकों एवं नाव मालिकों की गोष्ठी आहूत की गयी जिसमें सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली, भेलूपुर, दशाश्वमेध एवं संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष तथा चौकी प्रभारी सहित जल चौकी प्रभारी उपस्थित रहे। गोष्ठी के दौरान उपस्थित समस्त नाविक व नाव मालिकों को गंगा नदी में नाव संचालन के दौरान आवश्यक सुरक्षा उपकरण व यात्रियों के सुरक्षा प्रबंध हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

1. पुलिस उपायुक्त काशी-जोन महोदय द्वारा गोष्ठी में उपस्थित समस्त नाविकों को यह निर्देश दिया गया कि नगर निगम द्वारा लाइसेंस में निर्गत क्षमता के अनुसार ही नाव में लोगों को बैठायेंगे तथा अपने-अपने नाव की निर्धारित क्षमता का बोर्ड लगायेंगे।
2. पुलिस उपायुक्त काशी-जोन महोदय द्वारा नाविकों को निर्देश दिया गया कि नाव पर सुरक्षा के दृष्टि से सभी जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध रखेगें। (जैसे-लाईफ जैकेट, टार्च, रस्सा, लाउड हेलर आदि)
3. पुलिस उपायुक्त काशी-जोन महोदय द्वारा नाविकों को निर्देश दिया गया कि कोई भी नाविक नशे की हालत में नाव का परिचालन नहीं करेगा तथा नाव पर किसी भी प्रकार का नशे का सामान नहीं रखेगा।
4. सभी नाविक अपना-अपना पहचान पत्र साथ में रखेंगे।
5. गोष्ठी में उपस्थित समस्त अधीनस्थ नियुक्त अधिकारी/कर्मचारिगण को उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु समुचित रूप से निर्देशित किया गया तथा यह भी बताया गया कि यदि किसी नाव संचालक द्वारा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो उक्त के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए।

सोशल मीडिया सेल
कार्यालय पुलिस उपायुक्त,
जोन-काशी,कमिश्नरेट-वाराणसी